UPAU010007452026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी–**मयंक चौहान** (एच०जे०एस०)

(**JO CODE UP** 2011)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–24/2026

रोहित गुप्ता पुत्र शिवराम निवासी नवीन गल्ला मंडी के बगल में औरैया थाना औरैया, जनपद औरैया। .....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक। .....विपक्षी।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षकर्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 647/2025, थाना औरैया राज्य बनाम रोहिता गुप्ता, अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.01.2026 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का वाहन अमुक्ति का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

2. आक्षेपित आदेश को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया का आदेश दिनांकित 31.01.2026 विधि विरूद्ध है। पुनरीक्षणकर्ता का वाहन यू०पी० टी 8485, जिसे चालक सुशील कुमार चला रहा था, दिनांक 29.08.2025 को औरैया–अजीमल रोड पर थाना पुलिस औरैया द्वारा चैकिंग के दौरान मय डी०ए०पी० 75 बोरी के बरामद करना कहा गया है और उपरोक्त के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 647/2025 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर वाहन को थाने पर निरुद्ध किया गया है। अतः प्रार्थना की गयी है कि पुनरीक्षण स्वीकार कर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.01.2026 को निरस्त किया जाये। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता के उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत की जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

3. विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा कथन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता के उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, औरैया के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है, इसलिए सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है, उसमें कोई अवैधता, अशुद्धता व अनियमिता नहीं है। अतः दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. पुनरीक्षण के निस्तारण के लिए आवश्यक सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह वाहन यू०पी० टी 8485 का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन को सुशील कुमार शर्मा चालक के रूप में संचालित करता है। दिनांक 29.08.2025 को उसके उपरोक्त वाहन को औरैया–अजीतमल रोड पर चैकिंग के दौरान मय डी०ए०पी० 75 बोरी के बरामद करना कहा है और उपरोक्त के सम्बन्ध में उसके व चालक सुशील शर्मा के विरुद्ध वादी शैलेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसका उपरोक्त वाहन दिनांक 29.08.2025 से थाना औरैया पर खुले में खड़ा हुआ है और खराब हो रहा है। उसके वाहन के समस्त कागजात वैध हैं। अतः न्यायहित में उसके उपरोक्त वाहन को उसके हक में अवमुक्त करने की याचना की गयी, परन्तु सम्बन्धित न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली पर वाहन संख्या यू०पी० टी 8485 के सम्बन्ध में थाना कोतवाली औरैया की आख्या उपलब्ध है, जिसके अनुसार उक्त वाहन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, औरैया के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है। अतः प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता के उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में जब्तीकरण की कार्यवाही लम्बित होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण विद्वान सम्बन्धित न्यायालय ने प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र निरस्त करके कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता, अशुद्धता या अनियमितता नहीं है। अतः सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट होने योग्य

है तथा दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.01.2026 पुष्ट किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय का तलबशुदा अभिलेख इस निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाये।

दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः 23.04.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

आज यह निर्णय/आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 23.04.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.04.23 14:46:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court